


भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

28 जून 2024

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा के बाद, भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार अधिसूचित करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
3 जुलाई 2024	4 जुलाई 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
10 जुलाई 2024	11 जुलाई 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
18 जुलाई 2024	19 जुलाई 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
24 जुलाई 2024	25 जुलाई 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
31 जुलाई 2024	1 अगस्त 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
7 अगस्त 2024	8 अगस्त 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
14 अगस्त 2024	16 अगस्त 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
21 अगस्त 2024	22 अगस्त 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
28 अगस्त 2024	29 अगस्त 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
4 सितंबर 2024	5 सितंबर 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
11 सितंबर 2024	12 सितंबर 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
18 सितंबर 2024	19 सितंबर 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
25 सितंबर 2024	26 सितंबर 2024	8,000	6,000	6,000	20,000
कुल		1,04,000	78,000	78,000	2,60,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4(2)-डब्ल्यू एंड एम/2018 में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।